# <u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 61 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-05 / 02 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504004792014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

#### वि रू द्व

राजेश पिता बाबूराव अड़लक, उम्र 50 वर्ष, निवासी राम मंदिर चाल, वार्ड न. 5 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

## <u>-: ( निर्णय ) :-</u>

### (आज दिनांक 29.07.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 27.01.2014 को 03:20 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल बेसिक स्कूल के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 14 इंच, चौड़ाई पौने 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 27.01. 2014 को सहायक उप निरीक्षक जी.पी. रम्भारिया को करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त राजेश पीर मंजिल बेसिक स्कूल के सामने अवैध रूप से हाथ में छुरी लिये घूम फिर कर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसने घेराबंदी का अभियुक्त को पकड़ा और अभियुक्त से एक लोहे की धारदार छुरी जप्त की। अभियुक्त से छुरी रखने का लायसेंस पूछने पर न होना बताने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 78/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.01.2014 को 03:20 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल बेसिक स्कूल के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 14 इंच, चौड़ाई पौने 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

#### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 27. 01.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ मौके पर पहुंचकर उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा और अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में दस्तावेज पेश न करने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 78/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—5) लेख की थी।
- 6 संजू (अ.सा.—1) एवं यादोराव (अ.सा.—2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु इन साक्षियों ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी संजू (अ.सा.—1) एवं यादोराव (अ.सा.—2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो

उस पर विश्वास किया जा सकता है । अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- अा.पी. रम्भारिया (अ.सा.—3) ने मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद हमराह आरक्षक एवं रहागीर साक्षियों के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ना एवं उससे गवाहों के सक्षम छुरी जप्त करना एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध करना बताया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक पर नमूना सील अंकित नहीं है। उक्त साक्षी को आर्टिकल—ए दिखाकर पूछे जाने पर उसने उस पर थाने की सील न होना बताया है। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि उसके द्वारा जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी थी उसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं है। स्वतः में उक्त साक्षी ने यह कहा है कि स्केल से नापा जाता है तो स्केल से ही नापा गया होगा।
- 9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) के अवलोकन से जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष जप्त कर उसे सील बंद किया जाना प्रकट नहीं होता है। विवेचक साक्षी जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.—3) ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जप्तशुदा आयुध पर थाने की सील नहीं है। उक्त साक्षी ने निश्चायक तौर पर यह भी नहीं बताया है कि उसके द्वारा जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी थी। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर अपराध कमांक लेख जिससे कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के पश्चात तैयार किये गये थे। अतः ऐसी दशा में निश्चायक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध आर्टिकल—ए वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था और अधिसूचना में वर्णित प्रतिषिद्ध आकार प्रकार का है।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 27.01.2014 को 03:20 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल बेसिक स्कूल के पास आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे की धारदार छुरी प्रतिबंधित आकार की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त राजेश को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
  - प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात्

11

अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)